न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र 09 / 2026

निजस कुमार पुत्र श्री महावीर निवासी तेली मौहल्ला सावर जिला अजमेर

................प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना नसीराबाद सदर जिला अजमेर

...........अप्रार्थी

उपस्थित :–

श्री भरत कुमार अभिभाषक प्रार्थी

सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457, 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वास्ते वाहन रिलीज करने बाबत

आदेश

दिनांक–11.02.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी / सुपुर्दगीदार अपने वाहन संख्या RJ-01-GA-7855 का रजिस्टर्ड मालिक है, प्रार्थी / सुपुर्दगीदार के उपरोक्त वाहन को पुलिस थाना नसीराबाद सदर अजमेर द्वारा धारा 3, 5, 6, 8, 9, 10 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 के तहत जब्त किया गया है। प्रार्थी / सुपुर्दगीदार अपने वाहन के अभाव में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा पुलिस को उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी / सुपुर्दगीदार अपने वाहन संख्या RJ-01-GA-7855 को न्यायालय से सुपुर्दगीनामें पर छुड़वाना चाहता है। अतः प्रार्थी / सुपुर्दगीदार के उक्त वाहन संख्या RJ-01-GA-7855 को सुपुर्दगीनामें पर छुड़वाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर थानाधिकारी पुलिस थाना नसीराबाद सदर जिला अजमेर से प्रकरण बाबत टिप्पणी तलब की गई। टिप्पणी प्राप्त होने पश्चात् सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी / सुपुर्दगीदार अपने वाहन संख्या RJ-01-GA-7855 का रजिस्टर्ड मालिक है, प्रार्थी / सुपुर्दगीदार के उपरोक्त वाहन को पुलिस थाना नसीराबाद सदर द्वारा धारा 3, 5, 6, 8, 9, 10 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 के तहत जब्त किया गया है। प्रार्थी / सुपुर्दगीदार अपने वाहन के अभाव में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है तथा पुलिस को उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी / सुपुर्दगीदार अपने वाहन संख्या RJ-01-GA-7855 को न्यायालय से सुपुर्दगीनामें पर छुड़वाना चाहता है। अतः प्रार्थी / सुपुर्दगीदार के उक्त वाहन संख्या RJ-01-GA-7855 को सुपुर्दगीनामें पर छोड़ने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

जिला कलक्टर
अजमेर

थानाधिकारी पुलिस थाना नसीराबाद सदर जिला अजमेर ने अपनी टिप्पणी दिनांक 09.02.2026 में अवगत कराया कि प्रकरण संख्या 99/24 दिनांक 09.03.2024 धारा 3, 5, 6, 8, 9, 10 गो0 अधि0 279 भादस में घटना में प्रयुक्त वाहन संख्या RJ-01-GA-7855 को जब्त किया था उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अनुसंधान पूर्ण कर चालानी आदेश संख्या 448/24 दिनांक 20.02.2024 से अन्तर्गत धारा 3, 5, 8, 9, 10 गो0 अधि0 में मुल्जिम श्री वसीम पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 28 साल निवासी मोहल्ला छाता बाड़ी थाना कोशीकला जिला मथुरा उत्तरप्रदेश के विरूद्व प्राप्त किये जाकर नतीजा किता किया जाकर चालान माननीय न्यायालय एसीजेएम नसीराबाद में दिनांक 26.06.2025 को पेश किया जा चुका है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन आयसर टाटा ट्रक RJ-01-GA-7855 के सबंध में अनुसंधान पूर्ण किया जा चुका है उक्त वाहन को नियमानुसार रिलीज किया जावे तो कोई आपत्ति नहीं होना बताया गया है।

हमने थानाधिकारी पुलिस थाना नसीराबाद सदर जिला अजमेर से प्राप्त टिप्पणी का प्रार्थी के सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र एवं सुनवाई दौरान व्यक्त कथनो पर मनन किया, रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि मुल्जिमात के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 3, 5, 8, 9, 10 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 में जप्तशुदा वाहन संख्या RJ-01-GA-7855 का पंजीकृत स्वामी प्रार्थी है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन संख्या RJ-01-GA-7855 से सम्बन्धित तफ्दीश पूर्ण हो चुकी होना थानाधिकारी नसीराबाद सदर जिला अजमेर ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया गया है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं विवेचनानुसार जिस स्थिति में उक्त गोवंश को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। उक्त गौवंश एक राज्य से दूसरे राज्य में ले लाने बाबत प्रार्थी के पास सक्षम स्तर से कोई स्वीकृति आदेश नहीं था, जब्तशुदा गौवंश को, देखरेख/चारे पानी की सुचारू व्यवस्था हेतु गौशाला में सुपुर्दुगी पर छोड़ा गया है। पुलिस अनुसंधान में मुल्जिमात के विरूद्व अन्तर्गत धारा 3, 5, 6, 8, 9, 10 राजस्थान गौवंश पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 का अपराध प्रमाणित पाया गया है। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 के अधिनियम संख्या 23 में धारा 6–क का अन्तःस्थापन किया गया है जिसमें इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जावें तथा ऐसे अपराध करने के लिए उपयोग में लाये गये प्रवहण का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होगा, प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त अधिनियम के तहत अधिकारिता रखने वाला सक्षम प्राधिकारी को कब्जे राज लिये गये गौवंश तथा ऐसे अपराध के लिए उपयोग में लिये जाने वाले वाहन के निस्तारण का अधिकार दिया गया है। किन्तु प्रार्थी द्वारा जब्तशुदा वाहन को सुपुर्दगीनामा पर छोड़ने हेतु निवेदन किया गया हैं। अतः जब्तशुदा वाहन के अधिहरण के आदेश करने के पूर्व अधिनियम में दिये गये प्रावधानो के मद्देनजर जब्तशुदा वाहन के अधिहरण के बदले में प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक के जुर्माने का संदाय करने पर वाहन प्रार्थी को सौंपा जा सकता है। चूंकि उक्त वाहन संख्या RJ-01-GA-7855 का उपयोग, उपरोक्तानुसार गैर–कानूनी अवैध कृत्य हेतु किया जा रहा था। लिहाजा

जिला कलक्टर
अजमेर

प्रकरण में जब्तशुदा वाहन संख्या RJ-01-GA-7855 पर रूपये 1,00,000/—अक्षरे एक लाख रूपये मात्र की शास्ति राशि आरोपित की जाती है। आरोपित शास्ति राशि प्रार्थी द्वारा जमा करवाने की शर्त पर एवं प्रार्थी से वाहन स्वामित्व सबंध दस्तावेज प्राप्त कर थानाधिकारी पुलिस थाना नसीराबाद सदर जिला—अजमेर, राशि नियमानुसार राजकोष (सम्बन्धित मद) में जमा करवाकर उक्त वाहन संख्या RJ-01-GA-7855 की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद जांच सम्बन्धित वाहन मालिक को सुपुर्द करें। जमा चालान/रसीद, के पालना रिपोर्ट पेश हों।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर,अजमेर